फा. F.11-Adm1073P/4/2018-Admn-I

JE GOD 4 11974

KENDELYA VIDYALAYA SANGATHAN

18, INSTITUTIONAL AIKA

**SHARIHED JECT SINGAI MARG

"I frederio od NEW DELJE-10010

dua FAX: 26514178 win PHONE: 28856576

Wedelie: www.yayangabanijie.

दिनांक : 3107.2018

आदेश

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रदत्त संस्वीकृति की जानकारी एतद द्वारा प्रदान की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड (बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल.), मैसूर, कर्नाटक के परिसर में एक नया केंद्रीय विद्यालय, परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सैक्शन) खोलने और साध्यता के अनुसार भविष्य में इन कक्षाओं में अभिवृद्धि करने की संस्वीकृति प्रदान की गई है।

- तदनुसार प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड निम्नलिखित की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे:-
 - । केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
 - ii. केंद्रीय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों हेतु 100% स्टाफ क्वार्टर।
 - iii. परियोजना विद्यालय के वास्तविक खर्च के 15% की दर से प्रशासनिक ओवरहैड प्रभारों सहित सभी आवर्ति एवं अनावर्ति खर्च।
 - iv. इस विद्यालय के संदर्भ में केविसं तथा बी.आर.बी.एन.एम.पी:एल. के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार अन्य सभी निबंधन एवं शर्ती का पालन ।
- 3. प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ति/अनावर्ति खर्च की राशि उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को अग्रिम किस्तों में प्रेषित करेंगे, जैसे:- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल महीने में पहली किस्त और अक्तूबर महीने में दूसरी किस्त अग्रिम रूप में जमा की जानी आवश्यक है।
- 4. यदि प्रायोजक प्राधिकरण करार के अनुसार किए गए वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो आयुक्त केविसं को अधिकार है कि वे कक्षाओं/सैक्शनों की संख्या घटा सकते हैं और प्रायोजक को उचित नोटिस देकर केंद्रीय विद्यालय को बंद करने के निर्देश भी दे सकते हैं।
- 5. इस केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश परियोजना क्षेत्र (Project Sector) के अन्तर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में केविसं द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्राथमिकताओं/नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
- 6. प्रवेश की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाए।

(डॉ. शची कान्त) संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

- 1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के वि.सं के निजी सचिव।
- 2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- 3. विशेष सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- 4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
- 5. अपर आय्क्त (प्रशा./शै-) केविसं के निजी सचिव।
- 6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
- 7. मैनिजिंग डायरेक्टर, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड को केन्द्रीय विद्यालय संगठन और बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल. के मध्य हुए समझौता जापन की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- 8. उपायुक्त, केविसं, क्षे .का. बेंगलुरु को इस अनुरोध के साथ कि वे बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल. के प्राधिकारियों से संपर्क कर केन्द्रीय विद्यालय को संचालित करें ।केन्द्रीय विद्यालय संगठन और बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल. के मध्य हुए समझौता ज्ञापन की दो प्रति (एक क्षेत्रीय कार्यालय एवं दूसरी केन्द्रीय विद्यालय के रिकॉर्ड हेतु) संलग्न है।
- 9. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु !
- 10. अधीक्षण अभियंता केविसं को सूचनार्थ।
- 11. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार , दिल्ली-92
- 12. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- 13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
- 14. निद्रेशक, के.वि.सं समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
- 🕶 5. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
 - 16. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
 - 17. गार्ड फ़ाइल।



F.11-Adm1073P/4/2018-Admn-I

della figura sino-KENDIGYA VIHVALAYA SANGATHAN ıæ−क्षाधागत क्षेत्र 18, INSTITUTIONAL AREA शहीद जीत सिंह भार्य. SHAHEED JEET SINGH MARG नई दिल्ली-110 016/ NEW DELHI-110016 FAX: 26514179 wm PHONE: 26858570 Wabsite : www.kvsangathan.nic.ln

Date: 31.07.2018

ORDER

Sanction of the Hon'ble HRM-cum-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan is hereby conveyed for opening of a new Kendriya Vidyalaya in the campus of Bharatiya Reserve Bank Note Mudran (P) Ltd. (BRBNMPL), Mysuru, Karnataka under Project Sector with classes I to V (single section in each class) from the academic year 2018-19 with consequential growth in succeeding years based on feasibility.

- It will be the responsibility of the sponsor, i.e., Bharatiya Reserve Bank Note Mudran (P) Ltd. to provide:
- i. Permanent Vidyalaya building as per the specifications of the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS).

ii. 100% staff quarters to all the staff of the Kendriya Vidyalaya.

iii. All recurring & non-recurring expenditure including administrative over-head charges @ 15% of the actual expenditure of the Project Vidyalaya.

iv. Other terms & conditions w.r.t. this KV would be as per Memorandum of Understanding (MoU) signed between KVS and BRBNMPL.

- 3. The sponsor shall remit the budgeted amount of recurring /non-recurring expenditure in advance installments to the Deputy Commissioner, KVS, Bengaluru Region, i.e., first installment in the month of April and second in the month of October for each financial year.
- In case the sponsor fails to fulfill their commitment as agreed to, the Commissioner, KVS is empowered to reduce the number of classes/sections and also direct the closure of Kendriya Vidyalaya by giving due notice to the sponsor.
- The admission to the Kendriya Vidyalaya will be as per the priorities/rules prescribed by the KVS from time to time for the Kendriya Vidyalayas under Project Sector.
- The admission process may be completed within 30 days. 6.

(Dr. Shachi Kant) Joint Commissioner (Pers.)

Distribution:-

- PS to HRM-cum-Chairman KVS.
- Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
- 3. Sr. PPS to Special Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
- 4. PS to Commissioner, KVS.
- 5. PS to Additional Commissioner (Admn. / Acad.), KVS.
- 6. Joint Commissioner (Training), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order.
- 7. The Managing Director, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran (P) Ltd. for information and necessary action along with 01 set of MoU signed between KVS and BRBNMPL.
- 8. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Dffice, Bengaluru along with 02 sets of MoU signed between KVS and BRBNMPL (01 for Regional Office and other for KV record) with the request to liaise with the sponsoring authority and make the KV functional with immediate effect.
- 9. The Principal Secretary (Education), Govt. of Karnataka, Bengaluru.
- 10. The Superintending Engineer, KVS for information.
- 11. Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
- 12. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
- 13. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
- 14. Director, all ZIETs, KVS.
- 15. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
 - 16. President/ General Secretary recognized KVS Staff Association.
 - 17. Guard File.